रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 6, 1977/कार्तिक 15, 1899
No. 25] NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 6, 1977/KARTIKA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Textiles)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November 1977

SUBJECT.—*Notification of the Development Commissioner for Handlooms as the Ex-officio Commissioner for Handlooms Cooperatives and his functions thereof.*

No. 23/1/77-Coop.— Government of India *vide* their Resolution No 4/59/74-Tex IV dated 24th October, 1975 published in Gazette of India, Extraordinary Part 1, Section 1 of 24th October, 1975 had announced its decision on the recommendations of High Powered Study Team on Handloom Industry under the Chairmanship of Shri B Sivaraman, Member Planning Commission

In terms of the recommendation No 6 (a) of the Study Team which has been accepted by the Government, 'The Development Commissioner for Handlooms' is hereby declared as the *Ex-officio* Central Commissioner for Handlooms Cooperatives. The following shall be the duties and functions of the Central Commissioner for Handloom Cooperatives

(a) Formulating a national policy for the development of handlooms in the cooperative sector

(b) Formulating plans for promoting the growth of handloom cooperatives including primary, regional, State and Central level as also of Cooperative Spinning Mills, as a distinct sector in the national economy.

(c) Evolving approach for the integrated development of credit and marketing requirements of primary handloom cooperatives.

(d) Maintaining coordination with the State Governments, the Central Ministries, Reserve Bank of India, National Cooperative Development Corporation and other national level organisations in respect of programmes and activities of handloom cooperatives including Cooperative Spinning Mills and ensuring that their policies are in line with the major objectives of the national policy

(e) Allocation of funds for development of handloom cooperatives.

(f) Research in the methodology of their productions and trends in the functioning of handloom cooperatives, as well as specific problems relating to them arising from time to time.

(g) Evaluation of the working of handloom cooperatives at various levels by obtaining periodical statements

K. RAMANUJAM, Jt. Secy

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति व सहकारिता मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1977

विषय:—हथकरघा विकास आयुक्त को, हथकरघा सहकारी समितियों तथा उनके कार्यों के लिए पदेन आयुक्त नियुक्त करने के लिए अधिसूचना ।

सं० फा० 23/1/77—कोआप०.—भारत सरकार ने, अपने संकल्प संख्या 4/59/74 टैक्स 4, दिनांक 24 अक्तूबर, 1975 मे, जो कि भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड I में 24 अक्तूबर 1975 को प्रकाशित किया गया था, श्री बी० शिवारमन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में 'हथकरघा उद्योग' पर उच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन दल की सिफारिशो पर अपने निर्णयो की घोषणा की थी ।

अध्ययन दल की सिफारिश संख्या 6(क) के अनुसार, जिसको कि भारत सरकार ने मंजूर किया है, हथकरघा विकास आयुक्त को एतद्द्वारा सहकारी समितियों का पदेन आयुक्त नियुक्त किया जाता है । हथकरघा समितियों के केन्द्रीय आयुक्त के कर्त्तव्य तथा कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) हथकरघा विकास के सहकारी क्षेत्र मे राष्ट्रीय नीति बनाना ।

(ख) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट क्षेत्र के रूप मे, हथकरघा सहकारी समितियो, जिन में प्राथमिक, क्षेत्रीय, राज्य और केन्द्रीय स्तर तथा साथ-साथ केन्द्रीय कताई मिलें भी शामिल है, के विकास और संवर्धन के लिए योजनायें तैयार करना ।

(ग) प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियो की ऋण और विपणन सम्बन्धी आवश्यकताओं के समेकित विकास के लिए नीति बनाना ।

(घ) हथकरघा सहकारी समितियो, जिसमे सहकारी कताई मिलें भी शामिल है, के सम्बन्ध मे राज्य सरकारो, केन्द्रीय मन्त्रालयो, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर के सगठनो के साथ समन्वय बनाये रखना और यह सुनिश्चित करना कि उनकी नीतियां राष्ट्र नीति के मुख्य उद्देश्यो के अनुरूप हैं ।

(ङ) हथकरघा सहकारी समितियो के विकास के लिए धन राशि निर्धारित करना ।

(च) हथकरघा सहकारी समिति के कार्य के रुखों तथा उत्पादन तरीकों और समय-समय पर उनसे सम्बन्धित आने वाली विशेष समस्याओं के भी सम्बन्ध में खोज करना।

(छ) आवधिक विवरणों को प्राप्त करके विभिन्न स्तर पर हथकरघा सहकारी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन करना।

के० रामानुजम, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977